SARVAGYA
Multidisciplinary, Multi-Lingual, Peer Reviewed Open Access Journal
ISSN : 3048-7153(E)
Vol. 1, Issue 2, July-September 2024
Available online : https://sarvagyajournal.com/

बिहार कृषि विपणन व्यवस्था में सुधार : सरकारी प्रयास का आलोचनात्मक विश्लेषण

मनोज कुमार
शोधार्थी, वाणिज्य विभाग
ल. न. मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा

सारांश (Abstract)

बिहार कृषि विपणन व्यवस्था लंबे समय से किसानों की आय, उत्पादन की गुणवत्ता और बाजार पहुंच की चुनौती का प्रतीक रही है। राज्य में कुल 56 लाख हेक्टेयर खेती योग्य भूमि होने के बावजूद, मध्यस्थों का प्रभुत्व, अपर्याप्त भंडारण सुविधाएं और मूल्य अस्थिरता ने किसानों को उचित लाभ से वंचित रखा। 2006 में एपीएमसी अधिनियम के पूर्ण निरसन के बाद उदारवादी सुधारों की उम्मीद थी, लेकिन वास्तव में निजी निवेश सीमित रहा और छोटे किसानों की स्थिति और जटिल हुई। अब, चौथे कृषि रोड मैप (2023-28) के तहत सरकार ने कृषि सुपर बाजार मॉडल, कृषि विपणन निदेशालय (2024) की स्थापना और ई-नाम के विस्तार जैसे ठोस कदम उठाए हैं। 53 बाजार प्रांगणों को आधुनिक सुपर बाजार के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिनमें 22 का चरणबद्ध आधुनिकीकरण पूरा हो रहा है। 20 मंडियों को ई-नाम से जोड़ा गया है, जिससे राष्ट्रीय बाजार से सीधा जुड़ाव संभव हो रहा है। इस पत्र में इन सरकारी प्रयासों का ऐतिहासिक संदर्भ, वर्तमान प्रगति और आलोचनात्मक मूल्यांकन प्रस्तुत किया गया है। सकारात्मक रूप से बुनियादी ढांचे में निवेश और डिजिटलीकरण से पारदर्शिता बढ़ी है, लेकिन छोटे किसानों तक पहुंच, नियामक कमजोरियां और मध्यस्थों की निरंतर भूमिका अभी भी बड़ी चुनौतियां हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि 2006 के निरसन के बाद धान-गेहूं जैसे फसलों में फार्म हार्वेस्ट प्राइस एमएसपी से काफी नीचे रही। इसलिए यह सुधार "सुधारात्मक" तो है, लेकिन "परिवर्तनकारी" नहीं।

एफपीओ सशक्तिकरण, पूर्ण ई-नाम एकीकरण, कानूनी ढांचे को मजबूत करना और एमएसपी जैसी गारंटी प्रदान करना आवश्यक है। इन कदमों से बिहार न केवल उत्पादन में, बल्कि किसान आय और आत्मनिर्भरता में भी अग्रणी बन सकता है। यह विश्लेषण नीति-निर्माताओं और शोधकर्ताओं के लिए उपयोगी दिशा प्रदान करता है।

की-वर्ड्स : बिहार, कृषि विपणन, एपीएमसी निरसन, कृषि रोड मैप, ई-नाम, कृषि सुपर बाजार।

1. परिचय

बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है। यहां की 77 प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खेती से जुड़ी हुई है और राज्य के जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग 25 प्रतिशत है। उपजाऊ गंगा के कछारी मैदान, भरपूर भूजल और विविध फसलें बिहार को कृषि प्रधान राज्य बनाती हैं, लेकिन विपणन व्यवस्था की कमजोरियां किसानों को उचित मूल्य दिलाने में सबसे बड़ी बाधा बनी हुई हैं। छोटी जोत (औसत 0.5 हेक्टेयर), परिवहन की कमी, भंडारण की अपर्याप्तता और मध्यस्थों का वर्चस्व किसानों की आय को सीमित कर देते हैं। 2006 में नीतीश कुमार सरकार ने कृषि उत्पाद बाजार समिति (एपीएमसी)

अधिनियम 1960 को पूरी तरह निरस्त कर दिया। यह भारत का सबसे कट्टरपंथी कृषि विपणन सुधार था। उद्देश्य था निजी निवेश को प्रोत्साहन देना, बाजार शुल्क समाप्त करना और किसानों को सीधे खरीदारों से जोड़ना। दो दशक बाद, चौथे कृषि रोड मैप (2023-28) के माध्यम से राज्य सरकार अब इन सुधारों को नई दिशा दे रही है। कृषि सुपर बाजार, कृषि विपणन निदेशालय की स्थापना और ई-नाम प्लेटफॉर्म का विस्तार इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

यह पत्र इन प्रयासों का आलोचनात्मक विश्लेषण करता है। हम देखेंगे कि 2006 के निरसन के बाद क्या वास्तविक बदलाव आए, वर्तमान योजनाएं कितनी प्रभावी साबित हो रही हैं और भविष्य के लिए क्या सुझाव दिए जा सकते हैं। विश्लेषण केवल आंकड़ों पर नहीं, बल्कि वास्तविक किसान अनुभवों, नीति प्रभावों और संरचनात्मक चुनौतियों पर आधारित है। आज जब जलवायु परिवर्तन, बाजार उतार-चढ़ाव और छोटे किसानों की असुरक्षा बढ़ रही है, तब विपणन सुधार किसान कल्याण की कुंजी बन गए हैं। बिहार जैसे राज्य में जहां कृषि ही विकास का आधार है, इन प्रयासों का सफल होना न केवल किसानों की आय दोगुनी करने, बल्कि पूरे राज्य की आर्थिक समृद्धि के लिए भी आवश्यक है।

2. बिहार में कृषि विपणन व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

बिहार में कृषि विपणन की व्यवस्था स्वतंत्रता के बाद से ही नियामक ढांचे पर आधारित रही। 1960 के एपीएमसी अधिनियम के तहत राज्य में 95 बाजार समितियां गठित की गईं, जिनमें 54 स्थायी यार्ड थे। इन समितियों का मुख्य कार्य लाइसेंस जारी करना, बाजार शुल्क वसूलना और मध्यस्थता को नियंत्रित करना था। उद्देश्य था किसानों को शोषण से बचाना और उचित मूल्य सुनिश्चित करना। लंबे समय तक यह व्यवस्था काम करती रही, लेकिन भ्रष्टाचार, नौकरशाही और अपर्याप्त बुनियादी ढांचे ने इसकी प्रभावशीलता को कम कर दिया। 2005-06 में नीतीश कुमार सरकार ने बड़े सुधार का फैसला लिया। 2006 में एपीएमसी अधिनियम को पूरी तरह निरस्त कर दिया गया। यह कदम निजी क्षेत्र को आकर्षित करने, लेनदेन लागत घटाने और किसानों को सीधे बाजार से जोड़ने के उद्देश्य से उठाया गया। उस समय तर्क दिया गया कि नियामक बोझ निजी निवेश को रोक रहा था। निरसन के बाद बाजार शुल्क समाप्त हो गया और कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं रही।

हालांकि, परिणाम मिश्रित रहे। कुछ फसलों जैसे मक्का में निजी निवेश बढ़ा और लेनदेन आसान हुई, लेकिन धान और गेहूं जैसे प्रमुख अनाजों में किसानों की स्थिति नहीं सुधरी। अध्ययनों (रॉय एट अल., 2021; किशोर एट अल., 2021) के अनुसार, फार्म हार्वेस्ट प्राइस एमएसपी से 10-30 प्रतिशत नीचे रही। निजी बाजार विकसित नहीं हुए। बुनियादी ढांचा जर्जर होता गया। मध्यस्थों का वर्चस्व बना रहा और राज्य स्तर पर खरीद केंद्र भी कम हो गए। वास्तव में, 2006 का यह सुधार 2020 के तीन केंद्र कृषि कानूनों का पूर्ववर्ती उदाहरण बन गया, जो बाद में किसान आंदोलन के बाद वापस ले लिए गए। दो दशक बाद, 2023-28 के कृषि रोड मैप और 2024 में कृषि विपणन निदेशालय की स्थापना के साथ सरकार अब नियंत्रित उदारवाद की ओर बढ़ रही है। यह पृष्ठभूमि समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि वर्तमान प्रयास पुरानी गलतियों को दोहराने से बचने और किसान-केंद्रित व्यवस्था बनाने की दिशा में हैं।

प्रभाव (आलोचनात्मक दृष्टि से):

सकारात्मक:

2006 में एपीएमसी अधिनियम के निरसन के बाद बिहार में कृषि विपणन व्यवस्था में कुछ सकारात्मक बदलाव भी देखने को मिले, हालांकि ये सीमित और फसल-विशेष थे। सबसे प्रमुख लाभ लेन-देन लागत में कमी था। बाजार शुल्क और लाइसेंस व्यवस्था समाप्त होने से किसानों और खरीदारों दोनों पर बोझ कम हुआ। खासकर मक्का (मेज) की फसल में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ी। अध्ययनों (किशोर एट अल., 2021; सरोज एट अल., 2021) के अनुसार, मक्का उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलने लगा क्योंकि नए खरीदारों के प्रवेश से प्रतिस्पर्धा बढ़ी। पशुधन क्षेत्र की मांग के कारण कुछ क्षेत्रों में सीधे खरीदारी बढ़ी, जिससे बिचौलियों की भूमिका कुछ हद तक घटी। इससे किसानों की आय में वृद्धि हुई और हाइब्रिड बीज, मशीनरी तथा उर्वरक के उपयोग में भी सुधार देखा गया। कुछ किसानों को अपने उत्पाद को सीधे प्रोसेसिंग कंपनियों या बाहर के बाजारों में बेचने का अवसर मिला, जिससे पारंपरिक मंडी पर निर्भरता कम हुई। इसके अलावा, कुछ कैश क्रॉप्स और सब्जियों में निजी निवेश ने बाजार की गतिशीलता बढ़ाई। कुल मिलाकर, जहां नियामक बोझ कम हुआ, वहां लचीलेपन और बाजार पहुंच में सुधार हुआ। हालांकि, ये सकारात्मक प्रभाव मुख्य रूप से निर्यात-उन्मुखी या औद्योगिक उपयोग वाली फसलों तक सीमित रहे। यह दर्शाता है कि उदारवादी सुधार कुछ क्षेत्रों में काम कर सकते हैं, बशर्ते बाजार की मांग मजबूत हो। फिर भी, ये लाभ पूरे कृषि क्षेत्र या छोटे किसानों तक व्यापक रूप से नहीं पहुंचे।

नकारात्मक:

दूसरी ओर, 2006 के एपीएमसी निरसन के नकारात्मक प्रभाव अधिक गहरे और व्यापक रहे। धान और गेहूं जैसी प्रमुख फसलों में किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पाया। फार्म हार्वेस्ट प्राइस (FHP) अक्सर MSP से काफी नीचे रही। अध्ययनों से पता चलता है कि निरसन के बाद इन फसलों के लिए किसानों की आय प्रभावित हुई, खासकर छोटे और सीमांत किसानों की। बुनियादी ढांचे के विकास की बजाय पुरानी मंडियों का क्षरण हुआ। निजी क्षेत्र ने अपेक्षित निवेश नहीं किया, जिससे भंडारण, परिवहन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाओं की कमी बनी रही। नियमन की अनुपस्थिति में मध्यस्थों का वर्चस्व बढ़ गया। किसान अक्सर distress selling को मजबूर होते थे क्योंकि उनके पास भंडारण की सुविधा नहीं थी और तुरंत नकदी की जरूरत होती थी। कीमतों में अस्थिरता बढ़ी, जिससे किसान जोखिम की स्थिति में आ गए। सरकारी खरीद भी नगण्य स्तर पर रही, जिससे MSP का लाभ बहुत कम किसानों तक पहुंचा। कुल मिलाकर, विपणन व्यवस्था में एक नियामक शून्यता पैदा हो गई, जिसका सबसे अधिक नुकसान छोटे किसानों को हुआ। यह अनुभव स्पष्ट करता है कि बिना मजबूत संस्थागत समर्थन और बुनियादी ढांचे के विकास के, पूर्ण उदारीकरण किसान हित में नहीं होता। बिहार का यह प्रयोग 2020 के कृषि कानूनों के लिए भी एक महत्वपूर्ण सबक साबित हुआ।

3. सरकारी प्रयास: वर्तमान सुधार

2006 के बाद प्रारंभिक उदासीनता के बाद 2021-22 से राज्य सक्रिय हुआ है। प्रमुख प्रयास निम्नलिखित हैं:

3.1 कृषि रोड मैप 2023-28 और कृषि सुपर बाजार मॉडल

- राज्य में 53 कृषि उपज बाजार प्रांगण कार्यरत हैं।
- 22 यार्डों का चरणबद्ध आधुनिकीकरण "कृषि सुपर बाजार" के रूप में। 2021-22 में 12 यार्डों (गुलाबबाग, मुसल्लहपुर, आरा आदि) के लिए 748.46 करोड़ रुपये स्वीकृत। 2022-23 में 9 यार्डों के लिए 540.61 करोड़।
- सुविधाएं: वेंडिंग प्लेटफॉर्म, वेट ब्रिज, आंतरिक सड़कें, सोलर पैनल, कोल्ड स्टोरेज, अपशिष्ट प्रबंधन, मछली/केला बाजार आदि।
- लक्ष्य: प्रत्येक प्रखंड में कोल्ड स्टोरेज, ग्रामीण हाट विकास, मूल्य संवर्धन और बिचौलियों को हटाना।
- प्रगति: दाउदनगर, वैशाली, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, मोहनिया आदि में कार्य पूरा।

3.2 कृषि विपणन निदेशालय की स्थापना (सितंबर 2024)

- कृषि विभाग के अधीन नया निदेशालय। उद्देश्य: उचित मूल्य सुनिश्चित करना, भंडारण, प्रसंस्करण, ग्रामीण हाट विकास।
- यह 2006 के निरसन के बाद पहला संस्थागत सुधार है।

3.3 ई-नाम (e-NAM) एकीकरण

- बिहार में 20 मंडियों को ई-नाम से जोड़ा गया (2024 तक)।
- जुलाई 2025 में 7 जीआई उत्पाद (मर्चा चावल, कतरनी चावल, जर्दालू आम, शाही लीची, मगही पान, बनारसी पान, गन्ना) जोड़े गए।
- लाभ: राष्ट्रीय बाजार से सीधा जुड़ाव, पारदर्शी मूल्य निर्धारण।

3.4 अन्य सहयोगी प्रयास

- बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 (प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन के लिए)।
- पीएसीएस के माध्यम से खरीद और एफपीओ सशक्तिकरण।
- 'ब्रांड बिहार' अभियान (लीची, मखाना, शहद)।

4. आलोचनात्मक विश्लेषण

सकारात्मक पक्ष:

बुनियादी ढांचे में निवेश (1200+ करोड़ रुपये) से पोस्ट-हार्वेस्ट लॉस कम होने की संभावना।

बिहार सरकार ने कृषि सुपर बाजार मॉडल के तहत 22 प्रमुख मंडी प्रांगणों के आधुनिकीकरण के लिए 1200 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की है। इसमें कोल्ड स्टोरेज, वेंडिंग प्लेटफॉर्म, आंतरिक सड़कें, वेट ब्रिज और अपशिष्ट प्रबंधन जैसी सुविधाएं शामिल हैं। किसानों के लिए यह निवेश एक बड़ी उम्मीद की किरण है। बिहार में फलों और सब्जियों की पोस्ट-हार्वेस्ट हानि 25-30 प्रतिशत तक पहुंच जाती है, जो छोटे किसानों की मेहनत को बर्बाद कर देती है। अब जब दाउदनगर, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी जैसे क्षेत्रों में ये सुविधाएं विकसित हो रही हैं, तो फसल कटाई के बाद तुरंत संरक्षण संभव हो जाएगा। किसान अब अपनी उपज को लंबे समय तक स्टोर कर उचित मूल्य का इंतजार कर सकेंगे। इससे न केवल उनकी आय में स्थिरता आएगी, बल्कि परिवार की आर्थिक सुरक्षा भी बढ़ेगी। यह निवेश केवल इमारतें नहीं, बल्कि किसानों

के सपनों को संरक्षण देने का माध्यम बन रहा है। हालांकि अभी प्रगति चरणबद्ध है, फिर भी यह दृष्टिकोण किसान-केंद्रित विकास की सही दिशा दिखाता है।

ई-नाम और सुपर बाजार से पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।

ई-नाम प्लेटफॉर्म और आधुनिक सुपर बाजारों का विस्तार बिहार के कृषि विपणन में पारदर्शिता की नई कहानी लिख रहा है। 20 मंडियों को ई-नाम से जोड़ने और 53 प्रांगणों को सुपर बाजार बनाने से किसानों को अब बोली लगाने की सुविधा मिल रही है। पहले जहां मध्यस्थ तय करते थे कि उपज का क्या मूल्य मिलेगा, वहां अब राष्ट्रीय स्तर के खरीदार सीधे प्रतिस्पर्धा करेंगे। छोटे किसान, जो कभी मंडी पहुंचने में ही हार मान जाते थे, अब मोबाइल पर ही अपनी फसल का सही दाम जान और बेच सकेंगे। यह प्रक्रिया न केवल मूल्य निर्धारण को निष्पक्ष बनाती है, बल्कि किसानों में आत्मविश्वास भी जगाती है। लीची, मखाना और शाही पान जैसे स्थानीय उत्पाद अब देश भर के बाजार में अपनी पहचान बना रहे हैं। इससे बाजार की अस्थिरता कम होगी और किसान अपनी फसल की योजना बेहतर तरीके से बना सकेंगे। यह सुधार वास्तव में किसानों को बाजार का मालिक बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है।

छोटे किसानों को सीधा लाभ का वादा (बिचौलियों का अंत)।

बिहार में औसत जोत आकार मात्र 0.5 हेक्टेयर होने के कारण अधिकांश किसान छोटे और सीमांत श्रेणी के हैं। सरकारी प्रयासों में बिचौलियों को हटाकर इन किसानों को सीधा बाजार से जोड़ने का वादा सबसे ज्यादा उम्मीद जगाता है। कृषि सुपर बाजार और ई-नाम के माध्यम से अब किसान अपनी उपज सीधे खरीदारों को बेच सकेंगे। इससे जो कमाई पहले मध्यस्थों की जेब में चली जाती थी, वह अब किसान परिवार तक पहुंचेगी। कल्पना कीजिए एक छोटा किसान जो सवेरे अपनी लीची या मक्का लेकर मंडी जाता था और आधा मूल्य लेकर लौटता था, अब वह घर बैठे उचित दाम पा सकेगा। यह बदलाव न केवल आर्थिक है, बल्कि सम्मान और आत्मनिर्भरता का भी है। छोटे किसानों की आवाज अब मजबूत होगी और वे अपनी फसल की कीमत खुद तय करने में सक्षम होंगे। यह वादा अगर पूरा हुआ तो बिहार के लाखों किसान परिवारों की दैनिक जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन आएगा।

2024 का निदेशालय नियामक शून्यता को भरने की दिशा में सकारात्मक कदम।

2006 के एपीएमसी निरसन के बाद बिहार में नियामक शून्यता पैदा हो गई थी, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान छोटे किसानों को हुआ। सितंबर 2024 में कृषि विपणन निदेशालय की स्थापना इस शून्यता को भरने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और स्वागत योग्य कदम है। यह निदेशालय अब उचित मूल्य सुनिश्चित करने, भंडारण सुविधाओं के विकास, ग्रामीण हाटों को मजबूत करने और किसानों की शिकायतों का त्वरित निपटारा करने का जिम्मा संभालेगा। किसानों के लिए यह संस्था एक भरोसे का सहारा बनेगी, जहां वे अपनी समस्याएं लेकर जा सकेंगे। पहले जहां कोई नियामक तंत्र नहीं था, वहां अब एक समर्पित विभाग किसान हित को प्राथमिकता देगा। यह कदम न केवल प्रशासनिक है, बल्कि भावनात्मक रूप से भी किसानों को यह संदेश देता है कि सरकार उनकी विपणन समस्याओं को गंभीरता से ले रही है। निदेशालय की सफलता भविष्य में और मजबूत कानूनी ढांचे की नींव रखेगी।

नकारात्मक पक्ष और सीमाएं:

2006 के निरसन का विरासत प्रभाव

2006 में एपीएमसी अधिनियम के पूर्ण निरसन के बाद बिहार में निजी क्षेत्र से भारी निवेश की जो उम्मीद जगी थी, वह अधूरी रह गई। निजी कंपनियां बड़े पैमाने पर कोल्ड स्टोरेज, आधुनिक मंडियां या लॉजिस्टिक्स नेटवर्क बनाने में आगे नहीं आईं। पुरानी मंडी यार्ड जर्जर होते गए, छतें टपकने लगीं और सड़कें खस्ताहाल हो गईं। किसान अभी भी बारिश में अपनी उपज को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। अध्ययन (किशोर एट अल., 2021) स्पष्ट बताते हैं कि धान और गेहूं जैसे प्रमुख अनाजों में किसानों की फार्म हार्वेस्ट आय में गिरावट आई। छोटे किसान, जो पहले भी संघर्ष कर रहे थे, अब और अधिक असुरक्षित महसूस करते हैं। नियामक शून्यता ने उन्हें बिचौलियों के सामने और कमजोर कर दिया। यह विरासत आज भी बिहार के कृषि विपणन को बोझ की तरह दबाए हुए है। सरकार के नए प्रयास कितने भी अच्छे हों, पुरानी गलती की छाया अभी पूरी तरह हटी नहीं है।

सीमित कवरेज

बिहार में कुल 53 कृषि उपज बाजार प्रांगण हैं, लेकिन मात्र 20 ही ई-नाम से जुड़ पाए हैं। इसका मतलब है कि दो-तिहाई मंडियां अभी भी पुराने ढर्रे पर चल रही हैं। छोटे किसान, जो गांव के कोने-कोने से आते हैं, इंटरनेट की सुविधा या स्मार्टफोन नहीं रखते। कई किसान डिजिटल साक्षरता से भी अनभिज्ञ हैं। वे मंडी पहुंचकर ही अपनी उपज बेच पाते हैं, जबकि ई-नाम वाले यार्ड में बैठे किसान बेहतर दाम पा रहे हैं। इस डिजिटल विभाजन ने छोटे और सीमांत किसानों को और अलग-थलग कर दिया है। वे न तो राष्ट्रीय बाजार की कीमत जान पाते हैं और न ही सीधे खरीदार से जुड़ पाते हैं। सरकार की अच्छी योजना होने के बावजूद, पहुंच की कमी ने लाभ को सीमित कर दिया है। जब तक हर प्रखंड और हर छोटा किसान इस प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंचेगा, तब तक सुधार अधूरा ही रहेगा।

नियामक कमजोरी

2024 में स्थापित कृषि विपणन निदेशालय एक अच्छा कदम है, लेकिन इसके पास अभी कोई कानूनी दांत नहीं हैं। न लाइसेंस की व्यवस्था है, न शुल्क वसूली का अधिकार। नतीजतन मध्यस्थ अभी भी बाजार पर हावी हैं। वे किसानों से सस्ता माल खरीदकर बाहर महंगे दामों पर बेचते हैं। किसान अपनी शिकायत लेकर निदेशालय जाते हैं तो भी उसके पास मजबूत कार्रवाई का हथियार नहीं है। यह कमजोरी किसानों में निराशा पैदा करती है। वे सोचते हैं कि सरकार चाहती तो है, लेकिन व्यवस्था में ताकत नहीं है। बिना कानूनी समर्थन के निदेशालय सिर्फ एक प्रशासनिक इकाई बनकर रह जाएगा। छोटे किसान, जो पहले से ही असहाय महसूस करते हैं, इस स्थिति में और अधिक असुरक्षित हो जाते हैं। नियामक मजबूती के बिना सारे सुधार कागजी ही साबित होंगे।

डेटा की कमी

सरकार द्वारा किए गए सुधारों का कोई स्वतंत्र और सार्वजनिक प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। हम नहीं जान पाते कि 1200 करोड़ रुपये के निवेश से किसानों की आय में वास्तव में कितनी बढ़ोतरी हुई या पोस्ट-हार्वेस्ट लॉस कितना कम हुआ। खरीफ और रबी मौसम में भी एमएसपी जैसी कोई गारंटीड खरीद व्यवस्था नहीं है। किसान अनिश्चितता में जीते हैं कि उनकी फसल का क्या होगा। डेटा की इस कमी से

नीति-निर्माण भी प्रभावित होता है। शोधकर्ता और नीति-मेकर अंधेरे में तीर चलाते रहते हैं। छोटे किसानों की वास्तविक कहानियां दस्तावेजी रूप में नहीं आतीं, जिससे उनकी पीड़ा अनदेखी रह जाती है। जब तक पारदर्शी डेटा और स्वतंत्र मूल्यांकन नहीं होगा, तब तक सुधारों की सच्चाई छिपी रहेगी।

संरचनात्मक समस्या

बिहार में औसत जोत आकार सिर्फ 0.5 हेक्टेयर है। इतनी छोटी जोत पर किसान ज्यादा उपज नहीं ले पाते और बाजार में भी कमजोर स्थिति में रहते हैं। अधिकांश किसान अभी भी धान-गेहूं पर निर्भर हैं, फसल विविधीकरण बहुत कम है। जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़ और सूखा हर साल फसल को नुकसान पहुंचाता है। इन संरचनात्मक समस्याओं के कारण विपणन सुधार कितने भी अच्छे हों, उनका पूरा लाभ नहीं पहुंच पाता। एक छोटा किसान अपनी सीमित उपज लेकर बाजार जाता है तो उसकी आवाज बहुत कमजोर पड़ती है। विविधीकरण न होने से बाजार में एक ही फसल की बाढ़ आ जाती है और कीमत गिर जाती है। जब तक जोत आकार, फसल पैटर्न और जलवायु अनुकूलन जैसे मूलभूत मुद्दों पर काम नहीं होगा, तब तक विपणन सुधार सतही ही रहेंगे।

निष्कर्ष

बिहार कृषि विपणन व्यवस्था में सरकारी प्रयासों का यह आलोचनात्मक विश्लेषण स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि हाल के वर्षों में उठाए गए कदम सही दिशा में हैं, लेकिन अभी भी लंबा सफर तय करना बाकी है। 2006 के एपीएमसी निरसन की विरासत ने नियामक शून्यता पैदा कर दी थी, जिसके कारण छोटे किसान सबसे अधिक प्रभावित हुए। अब कृषि सुपर बाजार मॉडल, ई-नाम का विस्तार और 2024 में कृषि विपणन निदेशालय की स्थापना जैसे प्रयास किसानों की आय बढ़ाने, पोस्ट-हार्वेस्ट हानि कम करने और बाजार पारदर्शिता लाने की दिशा में सकारात्मक प्रयास हैं। 1200 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश ने कई मंडियों को आधुनिक रूप दिया है, जिससे किसान परिवारों में नई उम्मीद जगी है। फिर भी, सीमित कवरेज, डिजिटल विभाजन, नियामक कमजोरियां और संरचनात्मक समस्याएं - जैसे औसत 0.5 हेक्टेयर की छोटी जोत, फसल विविधीकरण की कमी और जलवायु जोखिम - इन सुधारों को अभी पूरी तरह परिवर्तनकारी नहीं बना पाई हैं। मध्यस्थों का वर्चस्व अभी भी बना हुआ है और एमएसपी जैसी गारंटी की अनुपस्थिति किसानों की अनिश्चितता को बढ़ाती रहती है। ये चुनौतियां केवल आर्थिक नहीं, बल्कि मानवीय भी हैं। लाखों छोटे किसान हर मौसम में अपनी मेहनत का उचित मूल्य पाने के लिए संघर्ष करते हैं।

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि बिहार सरकार के प्रयास सराहनीय हैं, लेकिन इन्हें और अधिक प्रभावी बनाने के लिए एफपीओ सशक्तिकरण, पूर्ण ई-नाम एकीकरण, निदेशालय को पर्याप्त कानूनी शक्तियां प्रदान करना और स्वतंत्र प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट जारी करना अनिवार्य है। केंद्र-राज्य समन्वय से एमएसपी-समर्थित खरीद व्यवस्था को भी मजबूत किया जाना चाहिए। यदि इन सुधारों को किसान-केंद्रित और समावेशी भावना से आगे बढ़ाया गया, तो बिहार न केवल कृषि उत्पादन में, बल्कि किसानों की आर्थिक समृद्धि और आत्मनिर्भरता में भी देश का नेतृत्व कर सकता है। यह न केवल एक नीतिगत चुनौती है, बल्कि लाखों परिवारों के सपनों और मेहनत को सम्मान देने का अवसर भी है।

संदर्भ (References)

1. Government of Bihar. (2023). *Fourth Agriculture Roadmap (Krishi Road Map) 2023-28*. Department of Agriculture, Patna. (Official Document).
2. Roy, D., Saroj, S., & Kishore, A. (2021). Impact of agricultural reforms in Bihar: Test case for new farm laws. *Ideas for India*. https://www.ideasforindia.in/topics/agriculture/impact-of-agricultural-reforms-in-bihar-test-case-for-new-farm-laws
3. Kishore, A., Roy, D., & Kishore, P. (2021). Impacts of sweeping agricultural marketing reforms in a poor state of India: Evidence from repeal of the APMC Act in Bihar. *International Food Policy Research Institute (IFPRI) / AgEcon Search*. https://doi.org/10.22004/ag.econ.315092
4. Krishna, G. (2023). Journey of Agricultural Produce Market Committee Law in Bihar: An Inquiry into the Implications of Repeal of Bihar APMC Law. *LEAD Journal*, 18(1), 51-68. https://lead-journal.org/content/a1804.pdf
5. National Council of Applied Economic Research (NCAER). (2019). *Study on Agricultural Diagnostics for the State of Bihar in India*. New Delhi: NCAER.
6. Kumar, N. (2025). Markets in Transition: Assessing the Role and Functions of the Shift from APMC to PACS in Bihar. *Artha Journal of Social Sciences*. https:// journals.christuniversity.in/index.php/artha/article/view/5886
7. Chatterjee, S., Krishnamurthy, M., Kapur, D., & Bouton, M. (2020). *A Study of the Agricultural Markets of Bihar, Odisha and Punjab*. Center for the Advanced Study of India (CASI), University of Pennsylvania.
8. Government of India. (2024-25). *e-NAM Official Statistics and Integration Reports*. Ministry of Agriculture & Farmers Welfare. (e-NAM Portal Data).
9. Government of Bihar. (2024, September 12). *Notification for Establishment of Agriculture Marketing Directorate*. Department of Agriculture, Bihar.
10. Bisena, J., et al. (2018). Agricultural marketing reforms and e-national agricultural market (e-NAM) in India: A review. *Agricultural Economics Research Review*.
11. Singh, V.K., et al. (Eds.). (2024). *Promising Climate Resilient Technologies for Bihar*. ICAR-Central Research Institute for Dryland Agriculture, Hyderabad.
12. Department of Agriculture & Farmers Welfare, GoI. (2023-24). *Annual Report 2023-24*. Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, New Delhi.
13. Himanshu. (2020, September 24). Lessons from Bihar's abolition of its APMC system for farmers. *The Mint*.
14. Intodia, V. (2011). *Final Report of Bihar Research Study*. CCS National Institute of Agricultural Marketing.
15. World Bank. (2005). *Bihar Agriculture: Building on Emerging Success*. World Bank Report.
16. Saroj, S., et al. (2021). Farm outcomes in Bihar: Impacts of reforms and other things including public programs. *Institute of Economic Growth (IEG) Discussion Paper*.
17. Government of Bihar. (2023). *Fourth Krishi Roadmap 2023-28: English Version*. Department of Agriculture, Patna.
18. Press Information Bureau (PIB). (2026, March 17). e-NAM integrates 1,656 mandis, benefits over 1.80 crore farmers. *PIB Release*.
19. Kumar, M. (2025). Bihar's agricultural policy failures. *Economic & Political Weekly / Related Analysis*.
20. Bisen, J., et al. (2024). Price-spread of potato marketing in the post-APMC era in Bihar. *International Journal of Research and Scientific Innovation*